18.12.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) श्री मोहन पंत उपस्थित आए।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फसर्वाण उपस्थित आए।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या–79ख पेश कर कथन किया साक्षी उपनिरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट एवं विक्रम सिंह को जरिये समन तलब किया गया था। साक्षी आज उपस्थित नहीं है। साक्ष्य हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए। स्थगन प्रार्थना पत्र सुना। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साक्षी उपनिरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट एवं विक्रम सिंह को समन जारी कर तलब किया जाए। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि साक्षी उपनिरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट एवं विक्रम सिंह को नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 22.01.2024 को पेश हो।

(धर्म सिंह)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
चमोली।